भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधायी विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4228
जिसका उत्तर शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024 को दिया जाना है

एक राष्ट्र एक चुनाव

4228. श्री दयानिधि मारन :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एक राष्ट्र एक चुनाव का प्रस्ताव किस प्रकार यह सुनिश्चित करता है कि राज्यों की संघीय स्वायत्तता, विशेषकर यदि चुनाव एक साथ हो, तो भी बनी रहेगी ;

(ख) भारत निर्वाचन आयोग और राज्य आयोगों के बीच सामान्य मतदाता सूची संरेखण के लिए आवश्यक मतदाता सूची को एकीकृत करने के लिए संभार-तंत्र संबंधी प्रौद्योगिकीय और कानूनी चुनौतियों का समाधान करने के लिए उठाए गए/उठाए जाने के लिए प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने मतदाता व्यवहार और जुड़ाव पर एक साथ चुनावों विशेष रूप से राष्ट्रीय दलों के चुनावी खर्च के क्षेत्रीय दलों पर हावी होने के जोखिम और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने में धन और शक्ति के प्रभाव के संबंध में संभावित प्रभावों का अध्ययन किया है ; और

(घ) क्या निर्वाचन आयोग वर्तमान में बुनियादी ढांचे, जनशक्ति और प्रौद्योगिकी के मामले में एक साथ चुनावों का प्रबंधन करने के लिए तैयार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) : सरकार ने 17.12.2024 को लोक सभा में एक विधेयक, अर्थात् संविधान (एक सौ उनतीसवां संशोधन) विधेयक, 2024, पुरःस्थापित किया है जो एक नया अनुच्छेद 82(क) का अंतःस्थापन करने के लिए और संविधान के अनुच्छेद 83 और अनुच्छेद 72 में संशोधन और एक अन्य विधेयक, अर्थात् संघ राज्यक्षेत्र विधियां (संशोधन) विधेयक, 2024 करने के लिए है ताकि लोकसभा और सभी विधान सभाओं के एक साथ निर्वाचन कराए जा सके जो राज्यों की परिसंघीय स्वायत्तता को प्रभावित नहीं करते हैं । यद्यपि, लोक सभा और सभी राज्य विधान सभाओं के पहले चार साधारण निर्वाचन एक साथ कराए गए थे। अतः, भारत में एक राष्ट्र, एक निर्वाचन को अपनाना सहयोगी परिसंघवाद के सिद्धांतों के अनुरूप है।

(ख) : सरकार ने एक साथ निर्वाचन कराने के मुद्दे की जांच करने और देश में एक साथ निर्वाचन कराने के लिए सिफारिशें करने हेतु भूतपूर्व राष्ट्रपति, श्री रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता के अधीन एक उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी) गठित की है । एचएलसी ने भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) और राज्य आयोगों के बीच समान निर्वाचक नामावली संरेखण के प्रयोजन के लिए सिफारिश की थी कि अनुच्छेद 325 में इस आशय का उपयुक्त रूप से संशोधन किया जा सकता है कि ईसीआई राज्य निर्वाचन आयोगों के परामर्श से निर्वाचक नामावली और निर्वाचक फोटो पहचान पत्र बनाएगा। एचएलसी की रिपोर्ट को सरकार ने स्वीकार कर लिया है ।

(ग) : एचएलसी ने अपनी रिपोर्ट के अध्याय-7 में एक साथ निर्वाचन के औचित्य को स्पष्ट करते हुए प्रादेशिक दलों पर एक साथ निर्वाचन के प्रभाव पर चर्चा की है । यह रिपोर्ट https://onoe.gov.in/HLC-Report वेबसाइट पर उपलब्ध है।

(घ) : एचएलसी ने अपनी परामर्श प्रक्रिया के दौरान भारत निर्वाचन आयोग से भी परामर्श किया जिसने एक साथ निर्वाचन कराने के लिए विभिन्न अपेक्षाओं का ब्यौरा देते हुए अपना लिखित उत्तर प्रस्तुत किया था। निर्वाचन आयोग की प्रतिक्रिया एचएलसी रिपोर्ट के उपाबंध के खंड 5 के पृष्ठ 3552-3573 पर है जो इसकी वेबसाइट *https://onoe.gov.in/HLC-Report-annexure* पर उपलब्ध है।

****